

पत्रांक-3/एम0-40/2025सा0प्र0.....01...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक
सभी जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/पुलिस उपाधीक्षक

पटना-15, दिनांक : 01.01.26

विषय:- "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" के प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निर्गत विभिन्न स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निदेश को समेकित कर एक Master Circular निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

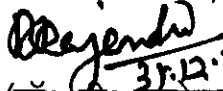
उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1112 दिनांक-12.07.2005 द्वारा "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" अधिसूचित है। कालान्तर में इस नियमावली में कतिपय संशोधन किये गये हैं। नियमावली के सभी संशोधनों को समाहित करते हुए अद्यतन संशोधित नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-10052 दिनांक- 02.06.2025 द्वारा Master Circular के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित है।

2. इस नियमावली के कतिपय प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार पेंशन नियमावली के कतिपय प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निदेश निर्गत हुए हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में ऐसे सभी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/ निदेश को समेकित कर एक Master Circular के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है।

3. उक्त प्रयोजन से संलग्न परिपत्र (Master Circular) में बिन्दुवार समेकन किया गया है तथा कुछ बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण भी अंकित किया गया है। यह परिपत्र दिनांक-01.01.2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद प्रत्येक पंचांग वर्ष में 01 जनवरी के प्रभाव से नया Master Circular निर्गत किया जायेगा जो पुराने Master Circular के बाद निर्गत निर्देशों को समेकित करते हुए जारी किया जाएगा।

4. इस परिपत्र में पूर्व से निर्गत परिपत्रों को एक विशिष्ट संरचना के अन्तर्गत समेकित किया गया है ताकि उन्हें संदर्भित करने में सुविधा हो। फिर भी किसी संशय की स्थिति में मूल परिपत्र एवं नियमावली का संदर्भ लेना उचित रहेगा अथवा सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ० बी० राजेन्द्र)
अपर मुख्य सचिव

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
I	प्रवाह तालिका (Flow Chart)	6-10
II	परिवाद	11
III	प्रारंभिक जाँच	12
IV	सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्धारण के संबंध में	12-16
V	बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा अधिरोपित दण्ड/निलंबन के आदेश से संबंधित अपील/पुनर्विलोकन अर्जी/पुनरीक्षण पर विचार हेतु सक्षम प्राधिकार	16-17
VI	लिपिकीय एवं अन्य संवर्ग हेतु अनुशासनिक एवं अपीलीय प्राधिकार	17-19
VII	अनुशासनिक कार्रवाई की वांछित समयसीमा	19-20
VIII	नियमावली, 2005 का अक्षरशः अनुपालन	20
IX	आपराधिक कदाचार एवं अनुशासनिक कार्यवाही	21-23
X	आपराधिक मामलों से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में आरोप पत्र का गठन	24-25
XI	आरोप पत्र का गठन	26-27
XII	मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय	27-30
XIII	निलंबन	30-35
XIV	संचालन पदाधिकारी को जाँच सुपुर्द करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	35-36
XV	संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासी विभाग/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	36-37
XVI	संचालन पदाधिकारी के द्वारा नियमावली-2005 के नियम-17 के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई	37-40
XVII	अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का दायित्व	40-41
XVIII	अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के समय आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभिकथन पर विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में	41-42
XIX	नियमावली-2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के उपरांत वृहद् शास्ति एवं पेंशन कटौती संबंधित दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के संबंध में	42-46

3/12/14

Ranjana

XX	आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली नियम-43 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने के संबंध में	46-47
XXI	सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड का ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी. के तहत अनुमान्य वित्तीय उन्नयन पर कुप्रभाव के संबंध में	47-48
XXII	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में	49
XXIII	एक से अधिक मामलों में वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने के दण्ड दिये जाने पर उनके कार्यान्वयन के संबंध में	49-50
XXIV	दंड संसूचन से पूर्व ही आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु होने के उपरांत अनशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष के संबंध में स्पष्टीकरण	50-51
XXV	सरकारी सेवक के विरुद्ध दायर कोई आपराधिक वाद अथवा आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय में सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किये जाने की सूचना ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में	51

Rajesh

संदर्भित पत्रों की सूची

क्रम संख्या	पत्रों की सूची
1.	परिपत्र संख्या 585 दिनांक 09.01.2024
2.	परिपत्र संख्या 1787 दिनांक 29.01.2025
3.	परिपत्र संख्या 945 दिनांक 24.06.2005
4.	परिपत्र संख्या 6968 दिनांक 12.07.2021
5.	परिपत्र संख्या 3026 दिनांक 20.02.2024
6.	अधिसूचना सं० 20/क्षे.स्था.-08(सीतामढ़ी)-11/2019 सा.प्र. 8823 दिनांक 02.06.2022
7.	अधिसूचना सं० 3/एम.-61/2019-13239/सा.प्र. दिनांक 05.11.2021
8.	परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007
9.	परिपत्र संख्या 2230 दिनांक 17.04.2008
10.	परिपत्र संख्या 18976 दिनांक 21.10.2022
11.	परिपत्र संख्या 23061 दिनांक 21.12.2022
12.	परिपत्र संख्या 6286 दिनांक 18.04.2024
13.	परिपत्र संख्या 2324 दिनांक 10.07.2007
14.	परिपत्र संख्या 1821 दिनांक 23.05.2007
15.	परिपत्र संख्या 12787 दिनांक 28.08.2015
16.	परिपत्र संख्या 12196 दिनांक 07.09.2016
17.	परिपत्र संख्या 5840 दिनांक 18.06.2020
18.	परिपत्र संख्या 1187 दिनांक 22.01.2024
19.	संकल्प संख्या 3/एम०-06/2018-2162/सा०प्र० दिनांक 05.02.2025
20.	पत्रांक 6956 दिनांक 21.10.2008
21.	मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय का पत्रांक मु.जाँ.आ.नि.(स्था.):15/2025-433 दिनांक 31.07.2025
22.	परिपत्र संख्या 13888 दिनांक 21.07.2023
23.	परिपत्र संख्या 21590 दिनांक 23.11.2023
24.	परिपत्र संख्या 17796 दिनांक 21.09.2023
25.	परिपत्र संख्या 2959 दिनांक 31.08.2007
26.	परिपत्र संख्या 18976 दिनांक 21.10.2022
27.	परिपत्र संख्या 18976 दिनांक 21.10.2022
28.	मुख्य जाँच आयुक्त का पत्रांक मु.जाँ.आ.(मुकदमा):02/2022-665 दिनांक 08.11.2022
29.	परिपत्र संख्या 4162 दिनांक 25.03.2021
30.	परिपत्र संख्या 6727 दिनांक 08.07.2020
31.	परिपत्र संख्या 806 दिनांक 16.01.2018
32.	परिपत्र संख्या 14123 दिनांक 16.10.2019
33.	परिपत्र संख्या 1882 दिनांक 06.02.2020
34.	परिपत्र संख्या 2910 दिनांक 28.02.2022
35.	संकल्प ज्ञापांक 170 दिनांक 06.01.2010
36.	परिपत्र संख्या 1659 दिनांक 05.02.2021
37.	परिपत्र संख्या 8811 दिनांक 18.07.2017
38.	परिपत्र संख्या-8334 दिनांक 15.09.2020

Rajendra

"बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" के प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निर्गत विभिन्न स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निदेश का समेकित Master Circular

तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1112 दिनांक-12.07.2005 द्वारा "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" अधिसूचित है। कालान्तर में इस नियमावली में कतिपय संशोधन किये गये हैं। नियमावली के सभी संशोधनों को समाहित करते हुए अद्यतन संशोधित नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-10052 दिनांक-02.06.2025 द्वारा Master Circular के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित है।

2. इस नियमावली के कतिपय प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार पेंशन नियमावली के कतिपय प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निदेश निर्गत हुए हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में अब तक निर्गत ऐसे सभी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निदेश को समेकित कर एक Master Circular निम्नवत् प्रकाशित किया जा रहा है-

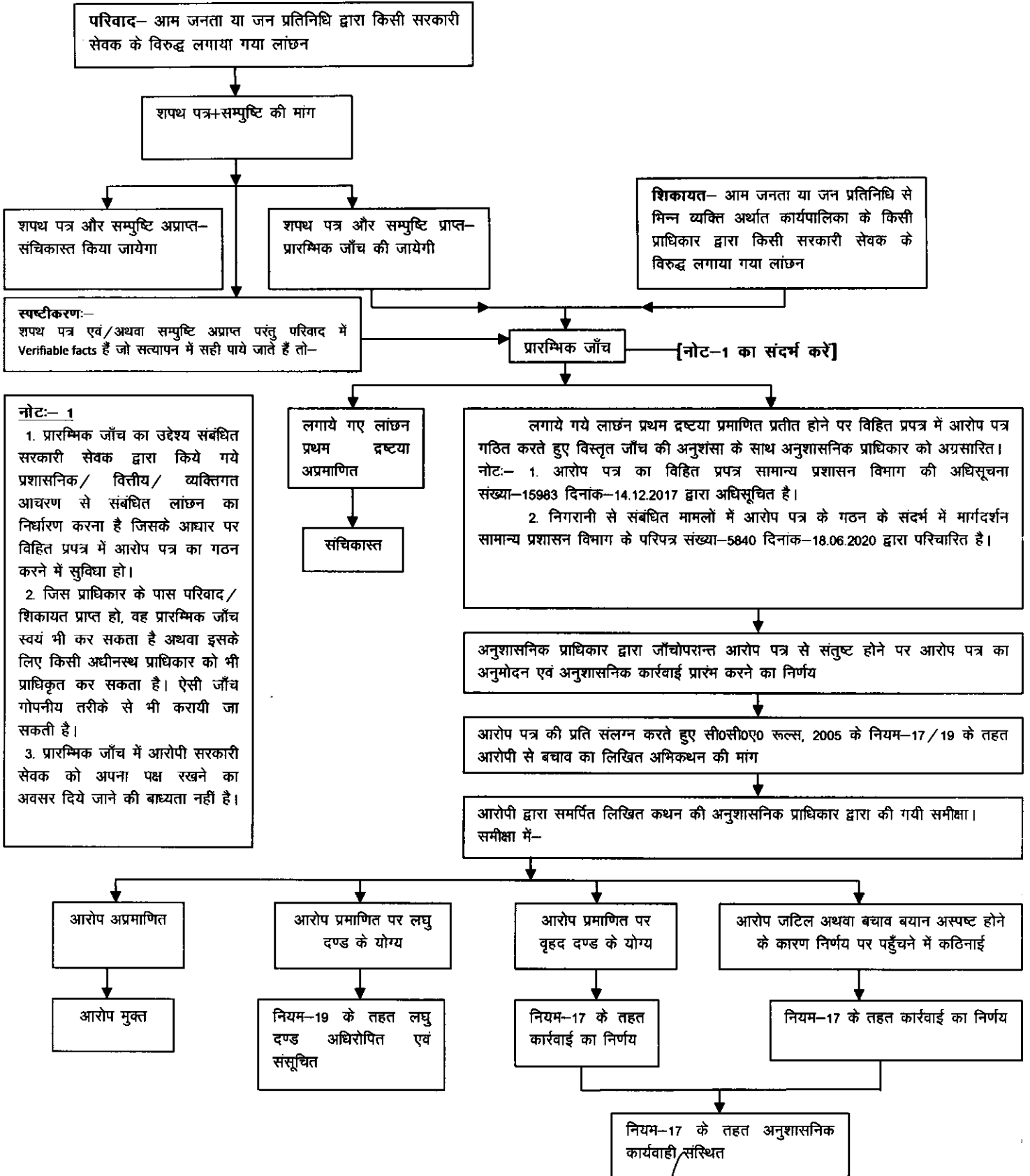
I. प्रवाह तालिका (Flow Chart)¹

(1) अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक् संचालन हेतु इसके विभिन्न स्तरों के प्रवाह तालिका से अवगत होना आवश्यक है। तदनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की प्रवाह तालिका (Flow Chart) नीचे दी गई है। हर स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का अनुपालन करना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया दूषित न हो एवं तकनीकी आधार पर अपीलीय प्राधिकार एवं न्यायालय के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न नहीं उठाया जा सके।

31/11/24

Rajesh

(प्रवाह तालिका — Flow Chart)



24/4/23

Merjendu

नियम-17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति।

नोट:- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति में अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में व्यावहारिक सुविधा का ध्यान रखा जाय।
[नियम 17(5)(ग)]

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति।

नोट:- संचालन पदाधिकारी किसी भी स्थिति में आरोपी सरकारी सेवक के समकक्ष अथवा उससे कनीय नहीं होना चाहिए।

आरोपी

अनुशासनिक कार्यवाही संचालन

1. किसी भी पक्ष को सामान्यतया वकील की सुविधा अनुमान्य नहीं की जायेगी। परन्तु आरोपी सरकारी सेवक नियमानुसार किसी सेवारत/सेवानिवृत्त कर्म की सहायता ले सकेगा।
2. संचालन पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक का संधारण किया जायेगा।
3. यदि आरोप पत्र में गवाहों की सूची नहीं हो, तब संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी- दोनों से उसके गवाहों की सूची की मांग की जायेगी तथा प्राप्त सूची दोनों को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोपी को आरोप बताया जायेगा।
5. यदि आरोपी इस स्तर पर अपना लिखित बयान समर्पित करना चाहे तो उसे इसका अवसर दिया जायेगा।
6. आरोपी के लिखित बयान पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को प्रतिउत्तर देने का अवसर दिया जायेगा।
7. आरोपी द्वारा अपने बचाव में यदि किसी अभिलेख की मांग की जाती है, तब संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों से बचाव के संदर्भ में माँगे गए अभिलेख की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अभिलेख देने का निदेश प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को दिया जायेगा अथवा अभिलेख की मांग को अस्वीकृत किया जायेगा।
8. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उनके गवाह प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका उनके द्वारा नियमानुसार परीक्षण किया जायेगा। तदुपरान्त आरोपी को उस गवाह का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के अनुरोध पर संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें अपने गवाह का पुनर्परीक्षण करने का अवसर भी दिया जायेगा।
9. आरोप पत्र में वर्णित अथवा सूची में अंकित सभी गवाहों को गवाही के लिए उपस्थित कराया जाना अनिवार्य नहीं है। परन्तु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी गवाह को उपस्थित नहीं कराने से सरकार का पक्ष कमजोर नहीं हो।
10. अन्ततः आरोपी को बचाव अभिलेख तथा अपने गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा नियमानुसार उसके गवाहों का भी परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण किया जायेगा।
11. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख की सम्पुष्टि प्रशासी विभाग से करायी जा सकती है परन्तु आरोपी के किसी बयान/अभिलेख के संदर्भ में विभागीय/अनुशासनिक प्राधिकार के मंतव्य की मांग नहीं की जा सकती है।
12. संचालन पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक में सुनवाई से संबंधित सभी कार्यवाही/बयान/अभिलेख आदि का विस्तृत उल्लेख किया जायेगा।
13. आदेश फलक के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
14. जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों के प्रमाणित/अप्रमाणित/आंशिक प्रमाणित होने के संदर्भ में ही अपना निष्कर्ष अंकित किया जायेगा परन्तु किसी प्रमाणित आरोप के लिए किसी दण्ड की अनुशंसा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में नहीं की जायेगी।
12. संचालन पदाधिकारी द्वारा नियम 17(23)(i) के अनुसार जाँच प्रतिवेदन (तीन प्रति में) तथा नियम 17(23)(ii) के अनुसार जाँच अभिलेख आदि 1 फलक सहित, अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियम-18 के प्रावधानों के तहत किया जाना।

18.1- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह विचार किया जायेगा कि आगे और जाँच की आवश्यकता है अथवा नहीं?

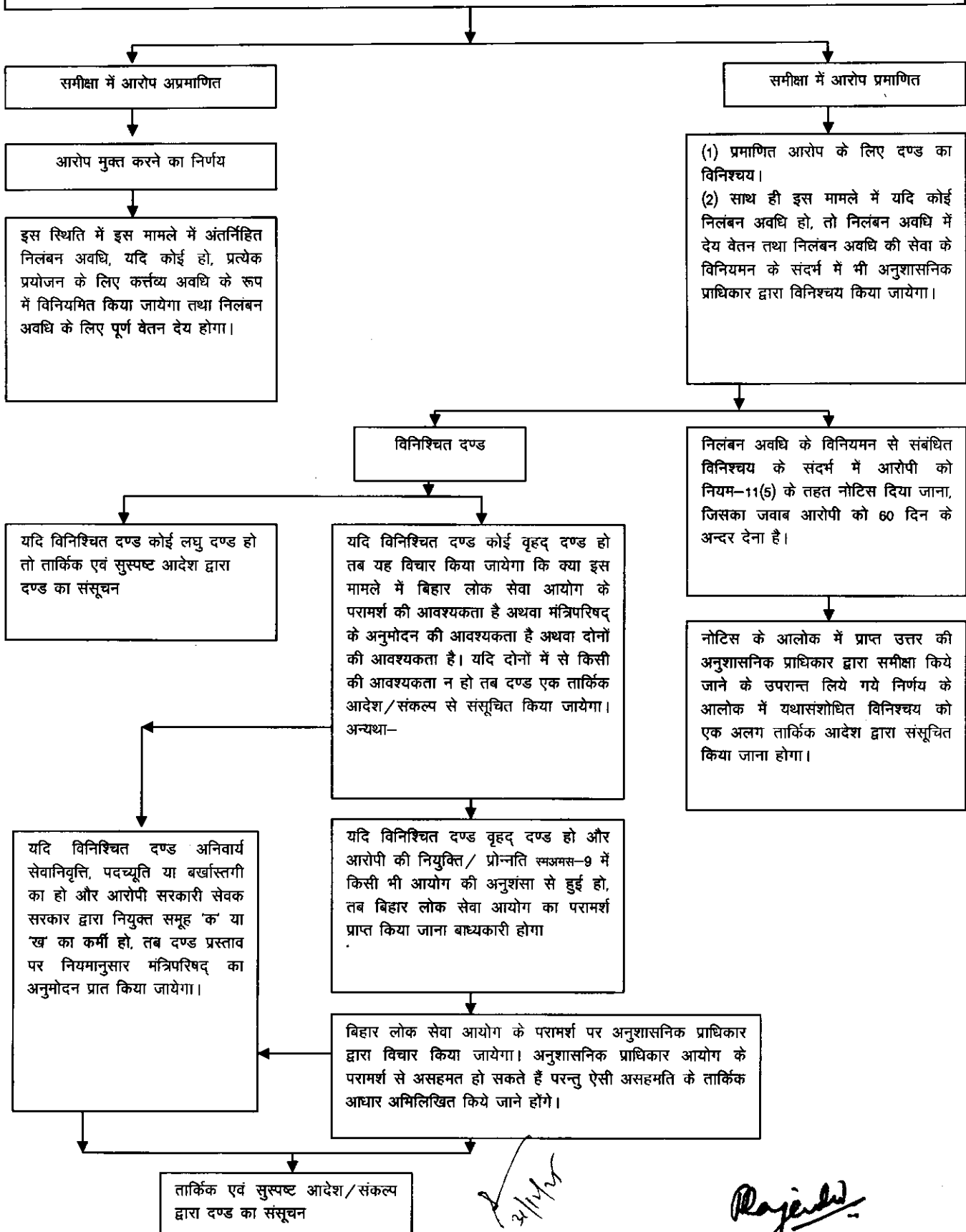
18.2- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु यदि कोई हो, का निर्धारण किया जायेगा।

18.3- जाँच प्रतिवेदन तथा असहमति के बिन्दु यदि कोई हो, की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराते उसे 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन या निवेदन समर्पित करने का निदेश।

21/11/20

Rajendra

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियम-18.3 के तहत आरोपी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन की समीक्षा



बिहार पेंशन नियमावली का नियम-43(ख)

सेवाकाल में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो परन्तु सेवानिवृत्ति तक अनिष्पादित रहा हो।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्परिवर्तन का औपचारिक आदेश निर्गत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।²

कार्यवाही पूर्ववत् चलती रहेगी और अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेगी क्योंकि कार्यवाही की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड देने के लिए निर्धारित है।

बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी आवश्यकतानुसार लिया जाना होगा। दण्ड देने हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार हों।
दण्ड— पेंशन से कटौती/वसूली (आंशिक/पूर्ण तथा अस्थायी/स्थायी)

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवा काल का कोई आरोप संज्ञान में आने पर उस आरोप के संदर्भ में नियम-43(ख) तभी लागू होगा जब—

- 1) आरोप गम्भीर कदाचार या वित्तीय अनियमितता का हो; तथा
- 2) आरोप की वास्तविक घटना 04 वर्ष से पुरानी नहीं हो। इस हेतु 04 वर्ष की गणना के लिए आरोप की वास्तविक घटना की तिथि से नियम-43(ख) के तहत आदेश निर्गत किये जाने की तिथि के बीच की अवधि को संज्ञान में लिया जायेगा।

परन्तु यदि इस घटना क्रम में आरोपी सरकारी सेवक की सेवाकाल में ही उसके विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत हो अथवा उसे निलंबित किया गया हो, तब मामला कालबाधित नहीं होगा।

कार्यवाही की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड देने के लिए निर्धारित है।

बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी आवश्यकतानुसार लिया जाना होगा। दण्ड देने हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार हों।
दण्ड— पेंशन से कटौती/वसूली (आंशिक/पूर्ण तथा अस्थायी/स्थायी)

नोट:— सेवानिवृत्ति के बाद के किसी कदाचार के लिए बिहार पेंशन नियमाली के नियम-43(क) के तहत कार्रवाई की जा सकती है परन्तु इस प्रावधान के तहत सेवाकाल के किसी आरोप के संदर्भ में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
स्पष्टतः सेवाकाल के किसी आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है।

31/1/23

Rajendra

II. परिवाद³

- (2) अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का एक आधार परिवाद-पत्र होते हैं। परिवाद-पत्रों के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के संदर्भ में निम्नवत् प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है:-
- अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों/परिवादपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।
 - पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुला पत्र और पैम्फलेटो पर भी तदनुसार कार्रवाई नहीं की जायेगी।
 - आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवाद-पत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।
 - लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद के माननीय सदस्यों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं माँगा जायेगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनसे लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जायेगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।
 - अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।
 - उप कंडिका (iii) एवं (v) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं शपथपत्र प्राप्त नहीं हो सकने तथा उप कंडिका (iv) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवादपत्र को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण

परन्तु ऐसे संचिकास्त करने के बावजूद उक्त परिवादपत्र में यदि कोई **Verifiable fact** हैं एवं वे सरकार/विभागाध्यक्ष को गंभीर प्रतीत होते हैं तो उनका सत्यापन कराया जा सकेगा एवं सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

- vii. उपर्युक्त उप कंडिका (iii), (iv) एवं (v) के अनुसार निबंधित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। जाँच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय या नहीं - यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

³ परिपत्र संख्या 945 दिनांक 24.06.2005

31/11/16

Rajendra

III. प्रारम्भिक जाँच

- (3) (i) लांछन/परिवाद/शिकायत की प्रारम्भिक जाँच में संबंधित सरकारी सेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया भी जा सकता है या ऐसी प्रारम्भिक जाँच गोपनीय तरीके से भी करायी जा सकती है। प्रारम्भिक जाँच और विभागीय जाँच के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण न्याय-निर्णय निम्नवत् है—

- a) The Preliminary inquiry is fact finding enquiry. The purpose of holding it is to ascertain as to whether there is a prima facie case for the institution of a regular departmental proceeding and if so, to gather evidence therefor. However such preliminary inquiry should not be confused with the possible institution of a regular departmental inquiry which may be ordered later on. There is no punitive element in a preliminary inquiry and provisions of Article 311(2) of the Constitution have no application to its being held. (Champak Lal V. Union of India, AIR 1964 SC 1854)
- b) The Preliminary inquiry may be held confidentially or even ex-parte. (Tribuwan Nath V. State AIR 1960 Pat 116)

(ii) प्रारम्भिक जाँच में लांछन/परिवाद/शिकायत के प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र का गठन किया जाना है और उसे संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार को विस्तृत जाँच हेतु अग्रसारित किया जाना है।

(iii) आरोप पत्र पर सर्वप्रथम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India&ors. Vs. B.V. Gopinath [(2014)1 SCC 351] में पारित न्यायादेश तथा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 17892/2014 चन्द्रकान्त कुमार अनिल बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 28.01.2015 को पारित न्यायादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार (नियुक्ति प्राधिकार) का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आगे की कार्रवाई किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

IV. सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्धारण के संबंध में⁴

- (4) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) में किया गया है। तदनुसार किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार उसके “अनुशासनिक प्राधिकार” होंगे।
- (5) नियमावली के नियम 2(झ) एवं 15 में अनुशासनिक प्राधिकार को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के आलोक में किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार

⁴ परिपत्र संख्या-6968 दिनांक 12.07.2021

21/11/20

Ranjana

अथवा उसके प्रत्यायोजित शक्ति के तहत काम करने वाले कोई अधीनस्थ प्राधिकार ही उसके अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। अतः किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार ही सक्षम होते हैं।

- (6) विदित हो कि किसी सरकारी सेवक के संदर्भ में उसके अनुशासनिक प्राधिकार की हैसियत से यदि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ही दण्ड अधिरोपित किया जाय, तो ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में यथानिर्धारित लघु एवं वृहद्-दोनों प्रकार की शास्तियाँ अधिरोपित करने में सक्षम होते हैं। परन्तु अगर कोई अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति का प्रयोग करे, तब ऐसा प्राधिकार नियम-14 में यथानिर्धारित मात्र लघु दण्ड को अधिरोपित करने के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत कार्य करने वाले अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहद् दण्ड के संबंध में निर्णय लिया जाना भारत-संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के प्रतिकूल होगा।
- (7) विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017-सहपठित-अधिसूचना संख्या-106 दिनांक-27.01.2017 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 की चतुर्थ अनुसूची के भाग-ख को निम्नवत् संशोधित किया गया है:-

प्रावधान	निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार
6. प्रोन्नति संबंधी मामले (लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)।	
(i) राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति के मामले।	(i) सचिव
(ii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/विभागाध्यक्ष के प्रोन्नति के मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी./डी.ए.सी.पी.) इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(ii) प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी./डी.ए.सी.पी.) इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(iii) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
(iv) राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड में पर्यवेक्षकीय पदों पर प्रोन्नति के मामले।	(iv) विभागाध्यक्ष

Rajendra

7. नियुक्ति संबंधी मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)	
(i) समूह - 'क' (विभागाध्यक्ष सहित)	(i) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
(ii) समूह - 'ख'	(ii) प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii) समूह - 'ग' एवं 'घ'	(iii) प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष या सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति प्राधिकार।

(8) वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- (i) किसी आरोपित सरकारी सेवक द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन/दण्ड के अधिरोपण के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार ही उसके सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार होंगे भले ही आरोप/कदाचार उस अवधि का हो जब संबंधित सरकारी सेवक कोई न्यूनतर पद धारित करता हो।
- (ii) स्पष्टतः सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति- दोनों तरीके से किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति की जा सकती है। सीधी भर्ती से नियुक्ति की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार का निर्धारण बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के भाग- 'ख' क्रम संख्या-7 के द्वारा होगा जबकि प्रोन्नति से नियुक्ति की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार का निर्धारण बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के भाग- 'ख' के क्रम संख्या-6 द्वारा होगा।
- (iii) उसी प्रकार कोई सरकारी सेवक यदि प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी पद पर कार्यरत हो, तो उस पद पर प्रोन्नति देने हेतु उक्त निर्धारित सक्षम प्राधिकार ही उसका नियुक्ति प्राधिकार होगा।
- (iv) उपर्युक्त विधि से निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार ही संबंधित सरकारी सेवक के संदर्भ में उसके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे। नियुक्ति प्राधिकार, यदि उचित समझे, तो वे अपने अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति को आदेश द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार में भी प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-9794 दिनांक-22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम-11 एवं विनियम-12 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्रतिस्थापन द्वारा राज्य सेवा सम्बर्ग के लेवल 9 एवं इससे उच्चतर लेवल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद् दण्ड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।

अ. १५५

Majumdar

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-806 दिनांक-16.01.2018 की कंडिका-7(ii) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची 3 की कंडिका 28 में निहित प्रावधान के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गयी हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्त कराये जाने (तीनों वृहद दण्ड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उस पर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दण्ड संसूचित किया जाता है।
- (9) उदाहरण के लिए-
- (क) बिहार अभियंत्रण के मामले में-
- (i) यदि किसी कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन/दण्ड का अधिरोपण प्रस्तावित हो परन्तु उसके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप/कदाचार उसके सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित हो, तब भी उसके अनुशासनिक प्राधिकार वही प्राधिकार होंगे जो उसके द्वारा वर्तमान में धारित पद अर्थात् कार्यपालक अभियंता के पद के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार हों।
- (ii) कार्य विभागों में सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है तथा कनीय अभियंता के गैर-सम्बर्गीय पद से प्रोन्नति से भी नियुक्ति होती है। अतः कोई सहायक अभियंता यदि सीधी भर्ती से नियुक्त हुआ हो तो कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग- 'ख' क्रम संख्या 7(ii) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में समूह 'ख' का कर्मी होने के कारण प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री उनके नियुक्ति प्राधिकार होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे। परन्तु जिन मामलों में कनीय अभियंता के पद से प्रोन्नति से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति होती है वहाँ कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग-'ख' क्रम संख्या-6(i) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा के बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति का मामला होने के कारण विभागीय प्रधान सचिव/सचिव उनके नियुक्ति प्राधिकार होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।
- (iii) बिहार अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता के ऊपर के सभी पदों (शीर्षस्थ पद तथा विभागाध्यक्ष को छोड़कर) के नियुक्ति प्राधिकार उक्त नियम-6(ii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।
- (iv) बिहार अभियंत्रण सेवा के शीर्षस्थ पद तथा विभागाध्यक्ष के पदों के नियुक्ति प्राधिकार उक्त नियम-6(iii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

2/11/24

Rajesh

- (ख) श्रम संसाधन विभाग अथवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के किसी संस्थान के प्राचार्य के पद, जो समूह 'क' का पद हो, पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकार कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग- 'ख' क्रम संख्या-7(i) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

V. बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा अधिरोपित दण्ड/निलंबन के आदेश से संबंधित अपील/पुनर्विलोकन अर्जी/पुनरीक्षण पर विचार हेतु सक्षम प्राधिकार⁵

- (10) बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के नियुक्ति प्राधिकार होने के कारण क्रमशः अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग उनके अनुशासनिक प्राधिकार हैं। परंतु उक्त नियुक्ति प्राधिकारों के द्वारा अपनी अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है जिसे तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के आदेश ज्ञापांक 2940 दिनांक 19.05.2008 द्वारा संसूचित किया गया है। उक्त प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में ही प्रशासी विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, जो तत्समय उनके विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हों, के विरुद्ध यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
- (11) प्रासंगिक नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-2815 दिनांक-30.12.2005-सहपठित-अधिसूचना संख्या-2378 दिनांक-28.04.2008 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में सदस्य, राजस्व पर्षद को अपीलीय प्राधिकार घोषित किया गया है।
- (12) साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-13239 दिनांक-05.11.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में सदस्य राजस्व पर्षद को अपीलीय प्राधिकार एवं माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (13) इस प्रकार बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में मात्र अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति ही संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान में प्रत्यायोजित की गयी है। अपीलीय प्राधिकार अथवा पुनरीक्षण के प्राधिकार की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गयी है।

21/11/24

Ranjendra

परन्तु कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामान्य प्रशासन विभाग के संज्ञान में आये हैं जिनमें विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग कर बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को पुनः अपीलीय प्राधिकार/पुनरीक्षण प्राधिकार की हैसियत से निरस्त/पुनरीक्षित किया गया है। क्योंकि विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान को अपीलीय प्राधिकार की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गयी है, अतः ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकार की हैसियत से अधिरोपित दण्ड को उनके द्वारा निरस्त/पुनरीक्षित किया जाना नियमसम्मत नहीं है और ऐसा कोई आदेश विधिसम्मत भी नहीं माना जायेगा।

- (14) अतः स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, जो तत्समय उनके विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हों, के विरुद्ध यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने की अनुशासनिक प्राधिकार की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में उनके द्वारा अधिरोपित दण्ड को स्वयं उनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार के रूप में निरस्त/पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा किया जाना नियमसम्मत नहीं माना जायेगा।

VI. लिपिकीय एवं अन्य संवर्ग हेतु अनुशासनिक एवं अपीलीय प्राधिकार⁶

- (15) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग, बिहार वाहन चालक संवर्ग एवं बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी(विशिष्ट) संवर्ग के पदों, जिनके अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी हैं, के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत क्रमशः अपीलीय प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र. सं.	संवर्ग	पदनाम	अनुशासनिक प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार
1.	बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग	(i) निम्नवर्गीय लिपिक (ii) उच्चवर्गीय लिपिक (iii) प्रधान लिपिक (iv) सहायक प्रशासी पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद
2.	बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं	(i) आशुलिपिक ग्रेड-III / आशुटंकक-III	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद

⁶ अधिसूचना सं० 20/क्षे.स्था.-08(सीतामढ़ी)-11/2019 सा.प्र. 8823 दिनांक 02.06.2022

Rayend

	समाहरणालय आशुलिपिक/ आशुटंकक संवर्ग	(ii) आशुलिपिक ग्रेड-II/ आशुटंकक-II (iii) वरीय आशुलिपिक ग्रेड-I/आशुटंकक-I (iv) प्रधान आशुलिपिक/ प्रधान आशुटंकक			
3.	बिहार वाहन चालक संवर्ग	(i) वाहन चालक (साधारण कोटि) (ii) वाहन चालक (कोटि-II) (iii) वाहन चालक (कोटि-I) (iv) वाहन चालक (विशेष कोटि)	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद
4.	बिहार कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट संवर्ग)	(i) कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-IV) (ii) कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-III) (iii) कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-II) (iv) कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-I)	जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद

- (16) सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदों, जिनके अनुशासनिक प्राधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हैं, के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत क्रमशः अपीलीय प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया जाता है⁷—

क्र. सं.	सेवा	पदनाम	अनुशासनिक प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार
1.	बिहार सचिवालय सेवा	सहायक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य, राजस्व पर्षद	माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा	(i) आशुलिपिक (ii) निजी सहायक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सामान्यप्रशासन विभाग	सदस्य, राजस्व पर्षद	माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग
3.	बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा	(i) निम्नवर्गीय लिपिक (ii) उच्च वर्गीय लिपिक	प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,	सदस्य, राजस्व पर्षद	प्रशासी विभाग के माननीय मंत्री

VII. अनुशासनिक कार्रवाई की समयसीमा

(17) अनुशासनिक कार्रवाई के कालबद्ध निष्पादन के लिए निम्नांकित रूप से समय-सीमा⁸ का निर्धारण किया जाता है:-

विभिन्न चरण	समय-सीमा
i. परिवाद/लांछन की प्राप्ति के पश्चात् लांछन की सचाई की जाँच हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई/स्पष्टीकरण/समुचित निर्णय आदि।	एक माह
ii. यदि अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) का गठन।	एक माह
iii. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय/आरोप-पत्र साक्ष्य सहित आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा अपना लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।	दो माह
iv. उक्त नियमावली के नियम-17 के अनुसार कार्रवाई सम्पन्न करने की अवधि	छः माह
v. उक्त नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्रवाई	दो माह
	कुल - 12 माह (एक वर्ष)

(18) ⁹अनुशासनिक कार्रवाई के कालबद्ध निष्पादन के लिए यह आवश्यक है कि इनसे संबंधित संचिकाओं का विभिन्न स्तर पर समयबद्ध रूप से निष्पादन किया जाय एवं उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी कर्मचारी/पदाधिकारी के स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित संचिका के निष्पादन में सामान्यतया तीन दिनों से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाय। इससे अधिक के विलम्ब की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

2/1/2008

Rajendra

⁸ परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007

⁹ परिपत्र संख्या 2230 दिनांक 17.04.2008

VIII. नियमावली, 2005 का अक्षरशः अनुपालन

- (19) (i) अनुशासनिक कार्रवाई में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अक्षरशः अनुपालन नहीं होने के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा कड़ी टिप्पणी की गई है। एल0पी0ए0 सं0 1203/2019 बिहार राज्य बनाम् सागर कुमार राय एवं अन्य में दिनांक 29.08.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है, जिसे सभी संबंधित को ध्यान में रखना आवश्यक है:-

“12. Copy of this order shall be forwarded to the Chief Secretary, State of Bihar. He is requested to formulate guidelines in respect of implementation of CCA Rules, 2005 to the Heads of the Department and Secretariat level or appointing authority/disciplinary authority¹⁰. We suggest that disciplinary authority or any other authority who invokes various provisions of CCA Rules, 2005 in a disciplinary proceedings and if he/she/they side track such a mandatory provisions and proceeded to pass order in a disciplinary proceedings, he/she/they must be liable for penal action under the very same set of CCA Rules, 2005. In that regard, State Government must examine whether penal action is warranted against disciplinary/inquiring/ appellate or appointing authority for violation of various provisions of CCA Rules, 2005 in a departmental inquiry¹¹. In such an event only, disciplinary/inquiring/appellate authority would be very much alert in invoking CCA Rules, 2005 in respect of initiation and completion of disciplinary proceedings against his/her subordinate officer/employee of the state.”

- (ii) ¹²बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के निलंबन, आरोप पत्र का गठन तथा अनुशासनिक कार्रवाई के ससमय संचालन की विस्तृत समीक्षा सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या-5 में उक्त संदर्भ में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी हैं:-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हो।
- (ii) निलंबन के मामले में निर्धारित समयावधि के अन्दर यदि कार्रवाई सम्पन्न नहीं होती है तो उसके लिये संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।
- (iii) आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित करने से पहले विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो।

8/11/22

Arjendu

¹⁰ परिपत्र संख्या-18976 दिनांक-21.10.2022

¹¹ परिपत्र संख्या-23061 दिनांक-21.12.2022

¹² परिपत्र संख्या-6286 दिनांक-18.04.2024

IX. आपराधिक कदाचार एवं अनुशासनिक कार्यवाही

- (20) आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ समुचित तथ्यों पर निर्धारित आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्यवाही भी चलाई जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम् बी०के० मीणा के मामले में दिनांक 27.09.1996 को पारित आदेश (AIR 1997 Supreme Court 13) के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाही चलाई जा सकती है।¹³
- (21) रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों में हिरासत में लिए गए कर्मचारियों/पदाधिकारियों के कारागार से जमानत पर छूटने के पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3) के अंतर्गत योगदान स्वीकार किया जाना है। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि योगदान कराने के पश्चात् उन्हें पुनः निलंबित किया जा सकता है। इस मामले में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए कर्मचारियों/पदाधिकारियों को कारागार से छूटने के पश्चात् योगदान देने पर, पूर्व में धारित पद अर्थात् जिस पर रहते हुए वह रिश्वत लेते पकड़े गए हो, वहाँ से तुरन्त स्थानान्तरित कर दिया जाय।¹⁴
- (22) रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामलों में विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन एवं उसे ससमय तार्किक परिणति तक पहुँचाए जाने के लिए निम्नवत् समय-सीमा¹⁵ निर्धारित की जाती है:-

विभिन्न चरण

समय-सीमा

- i. रंगे हाथों पकड़े जाने के उपरांत निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई/विशेष निगरानी ब्यूरो के द्वारा आवश्यक साक्ष्य से संबंधित सभी कागजातों के साथ संबंधित सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्रि विभाग एवं पदस्थापना विभाग को सूचना का प्रेषण।
- ii. संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त साक्ष्यों एवं कागजातों के आधार पर प्रशासनिक विफलता/चूक के बिन्दु पर जाँच एवं तदनुसार अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप-पत्र गठन।
- iii. आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय।

एक सप्ताह

तीन सप्ताह

दो माह

3/1/14

¹³ परिपत्र संख्या-2324 दिनांक-10.07.2007

¹⁴ परिपत्र संख्या 1821 दिनांक 23.05.2007

¹⁵ परिपत्र संख्या 12787 दिनांक 28.08.2015

Kajendra

- iv. संचालन पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 के अनुसार विभागीय जाँच की कार्रवाई संपन्न करने एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि। तीन माह
- v. उक्त नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्रवाई करते हुए मामले को तार्किक परिणति तक पहुँचाना। दो माह

कुल - आठ माह

(23) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही को ससमय तार्किक परिणति तक पहुँचाने के लिए विशिष्ट रूप से जाँच पदाधिकारियों को चिह्नित किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों में निम्नांकित प्रक्रिया¹⁶ का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है:-

- i. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले (trap cases) मामलों में जिला स्तर पर अपर समाहर्ता एवं विभाग स्तर पर संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाय।
- ii. किसी सरकारी सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने अथवा अन्य कदाचार के मामलों में गिरफ्तारी के पश्चात् निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई/विशेष निगरानी इकाई द्वारा उस सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलाने हेतु अपना मंतव्य सभी सम्बन्धित साक्ष्य सहित प्रशासी विभाग को तत्काल (गवाहों की सूची एवं उनके पते सहित) उपलब्ध कराया जाय।
- iii. वैसे सभी मामलों में, जिनमें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने संबंधी आरोप के लिए किसी सरकारी सेवक को अभियुक्त बनाया गया हो एवं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ किया जाना हो, संबंधित सरकारी सेवक को गिरफ्तार किए जाने की तिथि के दो माह के अन्दर अनुशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से प्रारंभ कर दी जाय तथा आरोप पत्र के गठन की तिथि के दस माह के अन्दर अनुशासनिक कार्रवाई को निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
- iv. ऐसे मामलों में निगरानी विभाग/आर्थिक अपराध इकाई/विशेष निगरानी इकाई के धावा दल में शामिल पदाधिकारी/सदस्यगण सक्षम गवाह होते हैं तथा उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही में आरोपों से संबंधित साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत करना न्यायिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। गवाहों का परीक्षण नहीं होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही दूषित (vitiate) हो सकती है। अतः महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि धावा दल में शामिल पदाधिकारी/कर्मि निर्धारित तिथि को अनुशासनिक कार्यवाही में निश्चित रूप से उपस्थित हों, ताकि गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही के

अ/1/1/15

Rajendra

निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब न हो। ट्रैप केसेज से संबंधित मामलों में साक्षी के रूप में ट्रैप टीम के प्रभारी एवं अन्य 2/3 पदाधिकारियों/कर्मियों, जिनकी उपस्थिति में सरकारी सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, को साक्षी के रूप में रखना पर्याप्त होगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किसी खास बिन्दु से संबंधित आवश्यक गवाहों को एक ही दिन बुलाया जाये ताकि उनके बयान दर्ज हो सकें तथा एक ही तथ्य के लिए गवाहों की पुनरावृत्ति एवं बारम्बार बुलाये जाने से बचा जाय।

- v. कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा सहयोग नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय सुनवाई किये जाने का प्रावधान है। अतः आरोपित सरकारी सेवक के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही में सहयोग नहीं किये जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही का निष्पादन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाय।
- vi. आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज/बयान की प्रति आरोप-पत्र के साथ ही दाखिल कर दिया जाय ताकि प्रथम तिथि पर ही आरोपित को उपलब्ध कराया जा सके। संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोप पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात आरोपित कर्मों को उपलब्ध हो गये हैं। अगर आरोपित कर्मों द्वारा अन्य कागजातों की मांग की जाती है, तो उसे उपलब्ध कराये जाने के बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिकतम एक माह के भीतर निर्णय लिया जाय। संचालन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव आरोपित कर्मों द्वारा अपनी सफाई में मांगे जाने वाले गवाहों के बयान एवं कागजातों की सूची, धारक (custodian) के नाम एवं पता के साथ प्रस्तुत किया जाय, जिससे कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा त्वरित रूप से वांछित कागजात संबंधित विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाय। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अनुशासनिक प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वांछित एवं उपलब्ध कराये जाने योग्य सभी कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।
- vii. संबंधित विभाग, निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपने अधीन लंबित काण्डों की प्रगति की नियमित monitoring की जाय। साथ ही प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की प्रत्येक तिथि को हुई प्रगति का विवरण संबंधित विभाग को भेज कर आवश्यक कागजात या गवाहों की उपस्थिति/अनुपस्थिति का प्रतिवेदन समर्पित किया जाय, जिससे बिना विलम्ब के अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

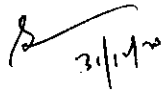
21/4/24

Rajeev

X. आपराधिक मामलों से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में आरोप पत्र का गठन¹⁷

(24) ऐसा पाया गया है कि कतिपय मामलों में आपराधिक घटनाक्रम के आधार पर ही आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जाती है—

- (i) ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप पत्र के गठन का आधार संबंधित सरकारी सेवक द्वारा किये गये प्रशासनिक चूकों को बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः आरोप पत्र के गठन के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक द्वारा किये गये प्रशासनिक चूक/प्रशासनिक प्रावधान के उल्लंघन की प्रारम्भिक जाँच कराया जाना उपयुक्त होता है। प्रारम्भिक जाँच के निष्कर्षों के आधार पर यदि आरोप पत्र का गठन किया जाय, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों/प्रदर्शों की आवश्यकता विभागीय कार्यवाही के संचालन में पड़ने की सम्भावना सामान्यतया नहीं होगी और विभागीय कार्यवाही निर्धारित समय में अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचायी जा सकेगी।
- (ii) परन्तु कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें समान आरोप के आधार पर ही आपराधिक तथा अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही— दोनों प्रारम्भ किये गये हैं।
- (iii) वर्णित परिस्थिति में विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपित सरकारी सेवक द्वारा बचाव बयान समर्पित करने हेतु अथवा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में अपने बचाव के लिए उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले से संबंधित कागजातों/अभिलेखों की माँग की जाती है।
- (iv) प्रशासी विभाग अथवा संचालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभियोजन एजेंसी से वांछित कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने पर अभियोजन एजेंसी द्वारा मामला जाँच के अधीन रहने पर वांछित अभिलेख दिये जाने से गोपनीयता भंग होने से अभियोजन पक्ष के कमजोर होने की सम्भवना अथवा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति में वांछित कागजात/अभिलेख माननीय न्यायालय में प्रदर्श के रूप में जमा किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय की सम्पत्ति होने का उल्लेख करते हुए वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किया जाता है।
- (v) वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन/निष्पादन किये जाने में कठिनाई होती है क्योंकि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें अपने बचाव का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है जिसके लिए मामले से संबंधित कागजात/अभिलेख को आरोपित सरकारी सेवक के अनुरोध पर उसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।


31/1/20



- (vi) विचाराधीन मामलों से संबंधित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन किस रूप में किया जाय, इस संबंध में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“In my opinion, if the charges are same and are based on the findings of the vigilance investigation, then in order to prove the same, it would be necessary to bring the requisite documents and oral evidence on record so as to prove the charges and simultaneously, all such documents and evidences relied on will have to be provided/supplied to the delinquent so as to defend his case. Authenticated Carbon or photocopies, of documents can also serve the purpose, if original or CC is not becoming available.”

- (vii) विद्वान महाधिवक्ता के उक्त परामर्श के आलोक में कार्रवाई करने हेतु आवश्यक होगा कि-

(क) किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण के क्रम में निगरानी अथवा किसी अभियोजन एजेंसी को किसी कार्यालय का अभिलेख दिये जाने के पूर्व उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में संरक्षित कर ली जाय जिससे कि उसका उपयोग भविष्य में आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में आवश्यकतानुसार किया जा सके।

(ख) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित मामलों में आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन के पूर्व उनके द्वारा किये गये प्रशासनिक चूक/प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन की प्रारम्भिक जाँच निश्चित रूप से करायी जाय। प्रारम्भिक जाँच में उनके द्वारा किये गये प्रशासनिक चूक/प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित निष्कर्षों के आधार पर ही नियमानुसार आरोप पत्र गठित किया जाय। आरोप पत्र में FIR दायर किये जाने की सूचना को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के उल्लंघन को भी अलग आरोप बनाया जाय।

(ग) आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में भी प्रशासनिक चूकों/प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन (उदाहरण के लिए आरोपी सरकारी सेवक द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के आलोक में दो माह के मूल वेतन से ज्यादा के समव्यवहारों की सूचना समय पर दी गयी है अथवा नहीं, अपने आस्ति एवं दायित्वों का विवरण समय पर दिया गया है अथवा नहीं, किसी नियमित अथवा ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति/संस्था से समव्यवहार किये जाने के पूर्व विहित प्राधिकारी की अनुमति ली गयी है अथवा नहीं, अभियोजन एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित आस्ति एवं दायित्व (Assets and Liabilities) का विवरण संबंधित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित विवरण से भिन्न है अथवा नहीं उसके आस्ति एवं दायित्व (Assets and Liabilities) उसके आय के ज्ञात श्रोत के अनुरूप है अथवा नहीं, आदि) की जाँच की जाय और आरोप पत्र का गठन ऐसी जाँच के निष्कर्षों के आधार पर ही किया जाय।

20/12/20

Prayag

XI. आरोप पत्र का गठन¹⁸

- (25) (क) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(3) में सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:-

“(3) जहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध जाँच करना प्रस्तावित हो वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार-

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें-

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेंगी।”

(ख) उक्त नियमावली, 2005 के नियम-19 का प्रावधान निम्नवत् है:-

“19. लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया -

(1) नियम-18 के उप नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश निम्नांकित कार्रवाइयों के किये बिना नहीं दिया जायेगा-

(क) उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जाँच आवश्यक हो नियम-17 के उप नियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जाँच;

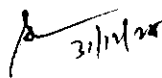
(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा (ख) के अधीन की गयी जाँच, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन; और

(ड.) आयोग से परामर्श करना जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहेंगे-

(i) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना की एक प्रतिलिपि;





- (ii) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;
 - (iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;
 - (iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;
 - (v) आयोग का परामर्श, यदि कोई हो;
 - (vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और
 - (vii) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।"
- (26) अतः किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 अथवा नियम-19 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के पूर्व उसके विरुद्ध अवचार या कदाचार के लांछनों के सार तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लेखबद्ध कराया जाना आवश्यक है। एतदर्थ विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ संकलित करने हेतु आरोप पत्र के प्रपत्र का निर्धारण "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017" के परिशिष्ट-1 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोप पत्र के निर्धारित प्रपत्र के भाग 2 एवं 3 में निम्नांकित सूचनाएँ अंकित किये जाने का प्रावधान है—
- "3(3) द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा।
- (4) तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा।"
- (27) वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 अथवा नियम-19 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र का गठन एवं उसका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। स्पष्टतः कोई आरोप पत्र तभी विधिसम्मत माना जायेगा जब वह विहित प्रपत्र में हो और अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित हो।

XII. मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय¹⁹

- (28) अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को त्रुटि रहित किये जाने के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित अनुशासनिक कार्रवाइयों का सम्यक् संचालन, समुचित पर्यवेक्षण एवं समयबद्ध निरीक्षण हेतु मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय का गठन 05 फरवरी, 2025 के संकल्प के द्वारा किया गया है, जो महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग का संलग्न कार्यालय है।

3/1/25

Mayeinde

¹⁹ संकल्प संख्या 3/एम0-06/2018-2162/सा0प्र0 दिनांक 05.02.2025

(29) मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के मुख्य दायित्व निम्नवत् है:-

(क) पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित-

- i. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा की गयी अनुशासनिक जाँच की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ii. मुख्य जाँच आयुक्त/जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी की हैसियत से सौंपे गये अनुशासनिक कार्यवाहियों का नियमानुसार संचालन करते हुए निर्धारित समय के अन्दर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना।
- iii. एतदर्थ प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) एवं जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) नोडल पदाधिकारी होंगे तथा सभी विभागों द्वारा संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जायेगा।
- iv. अनुशासनिक कार्यवाही के नियमानुसार संचालन/निष्पादन हेतु ऐसे कार्य में संलग्न बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों (उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहित) का बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाई करना।

(ख) विभिन्न स्तरों पर अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन की जिम्मेवारी-

- i. मुख्य जाँच आयुक्त को वेतन स्तर-9 या इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप यथा- गम्भीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से संबंधित मामले ही जाँच के लिए सौंपे जायेंगे।
- ii. अपर सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध सामान्य आरोप के मामले भी मुख्य जाँच आयुक्त को जाँच के लिए सौंपा जा सकेगा।
- iii. विशेष परिस्थिति में सरकार के निर्णयानुसार कारण अंकित करते हुए आरोप का कोई मामला जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को सौंपा जा सकेगा।
- iv. वेतन स्तर-9 या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने (Trap) से संबंधित मामले जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को सौंपा जा सकेगा जो ऐसे मामले किसी Dedicated जाँच आयुक्त को सुपुर्द करेंगे। ऐसे मामलों में संबंधित जाँच आयुक्त अपना जाँच प्रतिवेदन सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित करेंगे।
- v. वेतन स्तर-8 अथवा उससे निम्न वेतन स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने (Trap) से संबंधित मामले जाँच हेतु विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को सौंपे जायेंगे। प्रमण्डल स्तर पर ऐसे मामले संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) को एवं जिला स्तर पर ऐसे मामले अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) को सौंपे जायेंगे।

अभिषेक

Dejani

- vi. विभिन्न विभागों के कर्मियों के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में संबंधित विभागों द्वारा निदेशालय को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - vii. प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) तथा जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) द्वारा Master Trainer की भूमिका का भी निर्वहन किया जायेगा। उनके द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नियुक्त संचालन पदाधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इनके द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अनुश्रवण हेतु प्रतिमाह निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - viii. संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को कोई अन्य प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जायेगा।
- (30) महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच के लिए अनुशासनिक कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वैसी ही अनुशासनिक कार्यवाही मुख्य जाँच आयुक्त को सुपुर्द की जाए जो उपरोक्त कंडिका-12(ख) से आच्छादित हो। मुख्य जाँच आयुक्त को अनुशासनिक कार्यवाही भेजने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु जिन मामलों में मुख्य जाँच आयुक्त को जाँच सुपुर्द किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो, उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।²⁰
- (31) मुख्य जाँच आयुक्त को अनुशासनिक कार्यवाही सुपुर्दगी संबंधी संकल्प के साथ निम्नांकित विहित परिपत्र में जाँच पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजा जाना आवश्यक है, ताकि मुख्य जाँच आयुक्त आश्वस्त हो सके कि जाँच के लिए अपेक्षित प्रक्रियागत कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा सम्पन्न कर ली गई है:-

जाँच-पत्र

- i. क्या आरोप पत्र, विहित प्रपत्र में एवं सही ढंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है? क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के उपनियम (3) का अनुपालन किया गया है?
- ii. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी को आरोप-पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है?

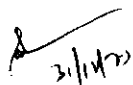
Rayanki

- iii. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है?
 - iv. क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है, और समीक्षोपरांत निष्कर्ष निकाला गया है?
 - v. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (6) के अनुसार वांछित कागजात संकल्प के साथ मूलरूप में संलग्न किये गये हैं?
 - vi. क्या अनुशासनिक कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ संकल्प में किया गया है?
 - vii. क्या विभागीय जाँच आयुक्त से जाँच कराने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त है और संकल्प में इस आशय का उल्लेख किया गया है?
 - viii. क्या संकल्प पर हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे सन्तुष्ट हैं?
- (32) उपरोक्त के अलावा मुख्य जाँच आयुक्त के स्तर पर जाँच सुपुर्द करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं²¹ पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि जाँच की प्रक्रिया बिना दूषित हुए नियमानुसार सम्पन्न हो सके:-
- (क) अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से जाँच अधिकारी को जाँच का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के साथ ही प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश आवश्यक रूप से संलग्न हो।
 - (ख) नियम-17(4) के तहत आरोपित सरकारी सेवक को आरोप-पत्र (साक्ष्यों सहित) उपलब्ध कराये जाने की प्राप्ति रसीद, निश्चित रूप से जाँच अधिकारी को जाँच के लिये प्रेषित आदेश/संकल्प के साथ संलग्न की जाय।
 - (ग) निगरानी विभाग स्वयं भी ट्रैप के मामलों में जाँच अधिकारियों को साक्ष्यों/अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करें। निगरानी विभाग की अधीनस्थ एजेंसियाँ मूल साक्ष्यों/अभिलेखों को न्यायालय में समर्पित किये जाने के पूर्व उनकी सत्यापित प्रतियाँ अपने अधीन संरक्षित करें।
 - (घ) ट्रैप के मामले में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये निगरानी विभाग, बिहार, पटना अपने अधीनस्थ अनुशासनिक इकाइयों (यथा- विशेष निगरानी इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तथा तकनीकी परीक्षक कोषांग) को निदेशित करें कि सेवानिवृत्त अनुसंधान पदाधिकारियों का डेटाबेस तैयार किया जाय, जिसमें अनुसंधान पदाधिकारियों का नाम, पदनाम, वर्तमान पता एवं मोबाईल नंबर संधारित हो। इससे प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का कार्य सुगम होगा।

XIII. निलंबन

- (33) नियमावली, 2005 के नियम-9 में किसी सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार में निम्न स्थितियों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबित करने की शक्ति निहित की गई है:-

²¹ मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय का पत्रांक मु.जाँ.आ.नि.(स्था.):15/2025-433 दिनांक 31.07.2025





"9. निलम्बन का आदेश— (1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब—

- (i) सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलाई जानी हो या लंबित हो, अथवा
- (ii) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा—हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा
- (iii) सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार की राय में लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन हो।"

(34) इसके अतिरिक्त नियमावली के नियम-9(2) के प्रावधान के आलोक में यदि कोई सरकारी सेवक किसी आपराधिक मामले की जाँच के क्रम में अथवा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप 48 घंटे से ज्यादा अवधि के लिये कारानिरुद्ध किया गया हो, तब वह कारावास में भेजे जाने की तिथि से ही निलंबित किया गया समझा जायेगा।

(35) अनुशासनिक कार्यवाई चलाने के दौरान सरकारी सेवकों को निलंबित किया जाना एवं उनके निलंबन अवधि की सावधिक समीक्षा के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं²² का अनुपालन किया जाना है:—

- i. किसी आरोप प्रकरण में यदि प्रतिवेदित आरोप लघु दण्ड दिये जाने योग्य हो, तब ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी सेवकों को निलंबित नहीं किया जाये।
- ii. प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति, गंभीरता एवं संवेदनशीलता पर सम्यक् विचार के उपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक को निलंबित करने का निर्णय लिया जाय।
- iii. प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके नियंत्रणाधीन एक वर्ष से ज्यादा अवधि से निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की प्रत्येक तीन महीने में समीक्षा की जानी है एवं ऐसे मामलों में यदि प्रतिवेदित आरोप गंभीर एवं संवेदनशील हैं, तभी निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया जाय। शेष मामलों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें ऐसे पद पर पदस्थापित किया जाय जहाँ से वे उनके विरुद्ध संचालित मामले को प्रभावित न कर सकें।

31/12/23

Rajiv

iv. उपरोक्त कंडिका-iii के आलोक में निलंबन की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक विभाग में विभागीय समिति²³ निम्नवत् गठित की गई है:-

- (क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ - अध्यक्ष
सचिव/प्रशासी विभाग
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि, - सदस्य
वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि
- (ग) प्रशासी विभाग के संबंधित आरोप शाखा के - सदस्य सचिव
वरीय प्रभारी पदाधिकारी

(36) निलंबन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत²⁴ निम्नवत् हैं:-

- i. वर्ष 2005 की उक्त नियमावली के नियम-30 के अनुसार किसी अन्य नियमावलियों में 2005 की नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी 2005 की नियमावली के प्रावधानों का ही अभिभावी प्रभाव (over-riding effect) होगा। अतः निलंबित करने, निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान, पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण आदि सभी कार्रवाइयाँ 2005 की उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है। बिहार सेवा संहिता के नियम-96 से 100 तक के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं कर 2005 की उक्त नियमावली के नियम-9 से 13 तक में किये गये प्रावधानों का अनुसरण किया जाना है।
- ii. नियुक्ति प्राधिकार या नियुक्ति प्राधिकार से उच्च पदस्थ प्राधिकार या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार नियम-9(1) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।
- iii. नियम-9(1) (क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है। नियम-9(2) में, हिरासत की अवधि के लिए निलंबित समझे जाने संबंधी प्रावधान है। नियम-9(3) में नियम-(2) वाले मामलों के संबंध में हिरासत से बाहर आने पर योगदान स्वीकार किये जाने और तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार नियम-9(1) (क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत पुनः निलंबित करने का प्रावधान है। ऐसा पाया गया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन होने की स्थिति में भी ऐसे मामलों में नियम-9 के उप-नियम-(2) के अन्तर्गत निलंबन की कार्रवाई की जाती है।

यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व से निलंबित नहीं हो और आकस्मिक किसी कार्रवाई के कारण हिरासत में जाता है अथवा हिरासत में जाने की सूचना बाद में प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में नियम-9 के उपनियम-(2) के तहत निलंबित समझे जाने का आदेश निर्गत किया जा सकता है।

31/11/23

²³ परिपत्र संख्या 21590 दिनांक 23.11.2023

²⁴ परिपत्र संख्या 17796 दिनांक 21.09.2023

Mejanku

- परन्तु जहाँ नियम-9(1) के तहत निलंबन का औचित्य हो वैसे मामलों में हिरासत में जाने की स्थिति में भी नियम-9(1) के तहत कार्रवाई करना उचित होगा जिससे हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् पुनः नियम-9(1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई की आवश्यकता न हो।
- iv. नियम-9 के उप नियम (3) की कार्रवाई उप नियम (2) के अन्तर्गत के मामलों में ही की जा सकती है, उप नियम (1) के अन्तर्गत के मामलों में नहीं।
- v. नियम-9(4) के अनुसार निलंबनाधीन सरकारी सेवक यदि कालक्रम में सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित हो जाता है और ऐसा दंड अपील या पुनरीक्षण में निरस्त हो जाता है और मामला पुनः जाँच या कार्रवाई में भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति की तिथि से लगातार अगले आदेश तक निलंबन में रहेगा।
- vi. नियम-9(7) के अनुसार निलंबन आदेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप-पत्र गठित कर दिया जाना है। यदि तीन माह के अंदर आरोप-पत्र गठित नहीं होता है तो निलंबनादेश वापस लिया जायेगा। परन्तु, निलंबनादेश निर्गत करने वाला प्राधिकार आरोप-पत्र गठित करने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए चार(4) माहों के लिए निलंबन को नवीकृत करे तो निलंबन जारी रह सकता है। यदि नवीकरण के चार माहों के बाद भी आरोप-पत्र गठित नहीं हो पाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा।
- vii. निलंबन के दौरान जीवन-निर्वाह भत्ता का प्रावधान नियम-10 में किया गया है। इस संबंध में अब बिहार सेवा संहिता के नियम-96 के अनुसार कार्रवाई नहीं की जानी है। नियम-10 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता मिल सकता है। अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं किया गया है।
- viii. नियम-9(2) के अंतर्गत निलंबित समझे जाने वाले मामलों में भी जीवन-निर्वाह भत्ता की अनुमान्यता और प्रक्रिया नियम-10(3) में प्रावधानित है।
- ix. कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं होने का उल्लेख नियम-10(14)(iii) द्वितीय परन्तुक में किया गया है। नियम-10(3) के अनुसार ऐसे मामले में जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक के प्राधिकार-पत्र के आधार पर उसके नामांकित को किया जाना है तथा उसी स्थापना से भुगतान होना है जहाँ वह हिरासत में जाते समय था।
- x. निलंबन के पश्चात् पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भुगतान की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम-11 में, अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः स्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम-12 में और न्यायालय द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या

2/12/12

Marginal

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निरस्त किये जाने पर पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण और वेतन/भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम-13 में किया गया है।

- xi. जहाँ निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतनादि के भुगतान का आदेश नहीं होता है, वहाँ नियम-11(5) के अनुसार वेतन एवं भत्ते अनुपात का विनिश्चय किया जा सकता है और एतदर्थ संबंधित सरकारी सेवक को नोटिस देकर और उक्त नोटिस के तामिला होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर उस सरकारी सेवक से प्राप्त अभ्यावेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर वेतन एवं भत्ते का विनिश्चय किया जा सकता है।

(37) कारानिरुद्ध सरकारी सेवकों के निलंबन के संबंध में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है:-

- i. यदि कारानिरुद्ध सरकारी सेवक को नियम-9(2)(क) के आलोक में कारानिरुद्ध होने की तिथि से निलंबित किया जाता है तो जमानत पर रिहा होने के उपरान्त सरकारी सेवक द्वारा प्रशासी विभाग/कार्यालय में योगदान किये जाने पर उनका योगदान नियम-9(3)(i) के तहत स्वीकृत किया जायेगा।
- ii. नियम-9(3)(ii) में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियम-9 के उप-नियम-(1)(क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का निर्णय लिया जाता है तो नियम-9(3)(i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद अलग से आदेश निर्गत कर उन्हें निलंबित किया जा सकेगा। इस प्रकार किया गया निलंबन भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से नहीं किया जायेगा बल्कि उक्त निलंबन आदेश निर्गत करने की तिथि से होगा।
- iii. नियम-9(3)(i) के तहत योगदान स्वीकृति की तिथि से पुनः निलंबित किये जाने की तिथि के पूर्व की तिथि तक की अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक को किया जायेगा।

(38) ²⁵ जब किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाता है तो साथ-ही साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जानी है। इस आलोक में आपराधिक मुकदमे लंबित रहने की स्थिति में भी विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है। चूँकि विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है, अतः निलम्बन अवधि के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकता है। निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय नहीं होने से विशेषकर सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामलों में सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान तथा इस अवधि के विनियमन के विषय में निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हो जाने की तिथि तक यदि आपराधिक मामले में निर्णय नहीं होता है

A 21/1/25

Rajendra

तो वैसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के अनुसार सरकारी कर्मों के निलम्बन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया जाय। वैसे मामलों, जहाँ विभागीय कार्यवाही नहीं चलाई गयी हो और मात्र आपराधिक कार्यवाही हो तथा अभियुक्त सरकारी सेवक को हिरासत में लिया गया हो तो हिरासत की अवधि के संबंध में निर्णय संबंधित आपराधिक मामले के निष्पादन के उपरान्त ही लिया जा सकेगा।

XIV. संचालन पदाधिकारी को जाँच सुपुर्द करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई²⁶

(39) नियमावली के प्रावधानों के तहत

- (i) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को बिहार सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017 के तहत आरोप-पत्र गठित किया जाना है, जिसमें आरोपों का विस्तृत विवरण, आरोप से संबंधित दस्तावेजों तथा साक्षियों की सूची संलग्न की जानी है।
- (ii) आरोपित सरकारी सेवक को उनके विरुद्ध गठित आरोप-पत्र की प्रति सभी संबंधित अभिलेखों के साथ प्रेषित करते हुए उनसे अपेक्षा की जायेगी कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह व्यक्तिशः सुनवाई चाहता है?
- (iii) यदि आरोपित सरकारी सेवक अपना लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु आरोप से संबंधित अभिलेख की मांग करे तो उसे अभिलेख उपलब्ध कराया जाय। यदि वांछित अभिलेख प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हो अथवा विशिष्ट कारणों से अभिलेख उपलब्ध कराया जाना नियमसम्मत नहीं हो तो लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए आरोपित सरकारी सेवक को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।
- (iv) नियमावली के नियम-19 के प्रावधान के तहत सरकारी सेवक से आरोप पत्र के संदर्भ में प्राप्त बचाव अभिकथन/स्पष्टीकरण पर विचार कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिना अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये हुए निर्णय लिया जा सकता है तथा प्रमाणित आरोप के समानुपातिक लघु दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
- (v) सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में वृहद दण्ड अधिरोपित करने के लिए नियम-17 के प्रावधान के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया जाना आवश्यक है।
- (vi) यदि आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच किया जाना आवश्यक हो तो अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियमावली के नियम-17 में निहित प्रावधानों के आलोक में ही सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

3/11/22

Raychaudhary

²⁶ परिपत्र संख्या 18976 दिनांक 21.10.2022

- (vii) अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपी सरकारी सेवक को आरोप से संबंधित साक्ष्य/साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। आरोपी सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत गवाहों/साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने का अवसर उपस्थापन पदाधिकारी को भी दिया जायेगा।

XV. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासी विभाग/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई²⁷

- (40) अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर नियम-18 के तहत कार्रवाई की जानी है -
- (i) नियम-18(1) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह विचार किया जायेगा कि जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप अथवा आरोप के सभी अंश के लिए निष्कर्ष अंकित है या नहीं? यदि जाँच प्रतिवेदन में किसी आरोप अथवा आरोप के किसी अंश के संदर्भ में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया हो, तो इसे अभिलेखित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले को पुनः आगे जाँच (further inquiry) कर प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए संचालन पदाधिकारी को वापस किया जा सकेगा।
 - (ii) नियम-18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जाँच प्रतिवेदन से सहमत अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से असहमत होने का निर्णय लिया जाना है। जाँच प्रतिवेदन से पूर्णतः या आंशिक रूप से असहमत होने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असहमति के बिन्दु अभिलेखित किया जाना है।
 - (iii) नियमावली के नियम-18(3) के प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु, यदि कोई हो, को आरोपी सरकारी सेवक को संसूचित करते हुए उनसे एक पक्ष के अन्दर अपना अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया जाना है।
 - (iv) नियम-18(4) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन यदि कोई हो, पर विचार करेगा।
 - (v) नियम-18(5) एवं (6) के प्रावधान के तहत प्रमाणित आरोप के समानुपातिक नियम-14 में वर्णित शास्ति का निर्धारण एवं संसूचन अथवा आरोप अप्रमाणित रहने पर आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जाना है। इस क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में कतिपय मामलों में आवश्यकतानुसार विनिश्चित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श अथवा राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना है।
 - (vi) जहाँ तक किसी सरकारी सेवक को किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाये जाने के उपरान्त उनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्रक्रिया का प्रावधान नियमावली के नियम-20(i) में किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में जहाँ किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी

A 3/1/20

Rajendra

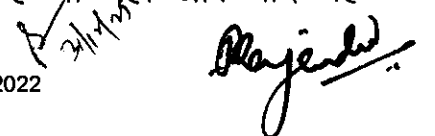
आपराधिक आरोप के संबंध में उसके दोषसिद्ध होने के आधार पर अधिरोपित किया जाना हो, इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन की आवश्यकता नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सीधे दण्ड अधिरोपित किया जाना है। परन्तु ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा और यदि ऐसा दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तब दण्ड अधिरोपण के पूर्व आयोग से भी परामर्श प्राप्त किया जाना होगा।

XVI. संचालन पदाधिकारी के द्वारा नियमावली-2005 के नियम-17 के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई²⁸

(41) संचालन पदाधिकारी के द्वारा नियम-17 के अनुसार विभिन्न चरणों में मुख्यतः निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है:-

- (i) नियम-17(6) – अनुशासनिक प्राधिकार, जहाँ जाँच प्राधिकार न हो, जाँच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगा:-
 - (i) आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;
 - (ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;
 - (iii) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथन की एक प्रति;
 - (iv) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करने वाला साक्ष्य; और
 - (v) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति।
- (ii) नियम-17(8)– सरकारी सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए, अपने मुख्यालय में या जहाँ जाँच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा। परन्तु कि इस प्रयोजनार्थ किसी विधि-व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न दे: साथ ही साथ सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हों जिनमें उन्हें सहायता देनी हो।
- (iii) नियम-17(9)– यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जाँच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नहीं और यदि वह

²⁸ मुख्य जाँच आयुक्त का पत्रांक मु.जाँ.आ.(मुकदमा):02 / 2022-665 दिनांक 08.11.2022



- आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जाँच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा।
- (iv) नियम-17(10)— आरोप के जिन मदों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जाँच प्राधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा।
- (v) नियम-17(11)— यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इन्कार करता हो या अभिवचन नहीं करता हो, तो जाँच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्यों को प्रस्तुत करे, जिनके द्वारा आरोप की मदों को वह साबित करना चाहता हो। उभय पक्ष की उपस्थिति रहने पर जाँच प्राधिकार द्वारा उभय पक्ष को अपनी ओर से परीक्षण किये जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेश दिया जा सकता है। साथ ही साथ सरकारी सेवक इस नियम के उप-नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। सरकारी सेवक किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो, किन्तु इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित न हो।
- (vi) नियम-17(12)— सरकारी सेवक द्वारा दस्तावेज/कागजात की मांग से संबंधित आवेदन प्राप्त हो जाने पर जाँच पदाधिकारी द्वारा उस प्राधिकार को आवेदन अग्रसारित कर देगा जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों। परन्तु जाँच प्राधिकार ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिए अप्रसांगिक समझे।
- (vii) नियम-17(13)— इस नियम के उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखने वाला हरेक प्राधिकार उन्हें जाँच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा। परन्तु ऐसे दस्तावेज जिसे पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वे प्राधिकार जिनके अभिरक्षा में दस्तावेज हैं वे जाँच प्राधिकार को सूचित करेंगे और जाँच प्राधिकार यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेंगे।
- (viii) नियम-17(14)— गवाही की प्रक्रिया की जानी है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये गवाह का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सरकारी सेवक द्वारा गवाह का प्रतिपरीक्षण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जाँच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जाँच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।
- (ix) नियम-17(15)— अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जाँच प्राधिकार स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा

31/1/20

Rajendra

जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की माँग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि माँग करे, तो पेश किये जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेने तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिए जाँच का स्थगन लेने का हकदार होगा। जाँच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है।

परन्तु यह कि साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या माँगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे साक्ष्य की माँग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो।

- (x) नियम-17(16)- जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाये तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिक या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे। यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलिखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी।
- (xi) नियम-17(17)- तदोपरान्त सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा। सरकारी सेवक यदि चाहे, तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया की जायेगी।
- (xii) नियम-17(18)- सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात्, जाँच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरुद्ध साक्ष्य में दिखने वाली परिस्थितियों के संबंध में उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ उससे सामान्य पूछताछ करेंगे, यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो।
- (xiii) नियम-17(19)- सभी साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा हो जाने के उपरान्त जाँच प्राधिकार प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी और सरकारी सेवक को विस्तृत रूप से आरोपवार सुनेंगे एवं यदि वह चाहे तो उन्हें अपने-अपने मामले का लिखित पक्ष कथन (written briefs) दाखिल करने की अनुमति देगा।
- (xiv) नियम-17(20)- यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप की मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जाँच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जाँच प्राधिकार एक पक्षीय जाँच कर सकेंगे।
- (xv) नियम-17(23)(i)- जाँच की समाप्ति के पश्चात् जाँच प्रतिवेदन में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होने चाहिए-
- (क) आरोप पत्र।

21/1/25

Benjendu

- (ख) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध आरोपित सरकारी सेवक का प्रतिवाद।
- (ग) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण।
- (घ) प्रत्येक आरोप के मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।
- (xvi) अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित अंतिम जाँच प्रतिवेदन लेखापित करने हेतु मॉडल प्रारूप निम्न हैं—
1. आरोपित सरकारी सेवक का नाम
 2. अनुशासनिक कार्यवाही संख्या
 3. सरकारी सेवक का पदनाम
 4. प्रशासी विभाग की संकल्प संख्या एवं दिनांक
 5. सामान्य रेफरेंस
 6. आरोप का अभिकथन
 7. आरोपित सरकारी सेवक का बचाव का लिखित अभिकथन
 8. बचाव में लिखित अभिकथन पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य
 9. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य पर आरोपित सरकारी सेवक की लिखित प्रतिक्रिया
 10. साक्ष्य/साक्षी/गवाही (अनुशासनिक प्राधिकार/आरोपित पदाधिकारी द्वारा यदि साक्ष्य के रूप में दिया गया हो तो)/परीक्षण/प्रतिपरीक्षण/पुनर्परीक्षण
 11. उभय पक्ष द्वारा दिये गये लिखित पक्ष कथन
 12. सुनवाई
 13. विश्लेषण एवं जाँच परिणाम
 14. अंतिम निष्कर्ष

XVII. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का दायित्व

- (42) नियमावली-2005 के नियम 17(5)(ग) में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने और नियम-17(11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) एवं (22) में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के दायित्वों से संबंधित प्रावधान हैं। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के स्तर पर निम्नांकित दायित्व/कर्तव्य का निर्वहन किया जाना आवश्यक है।²⁹
- (i) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जानी चाहिए जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों।
 - (ii) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उनका कार्य अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का होता है।
 - (iii) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समर्थन में अनुशासनिक प्राधिकार का पक्ष

21/1/21

Major...

- प्रभावी ढंग से रखने, आरोप सिद्ध करने हेतु साक्षियों एवं साक्ष्य को संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
- (iv) अभियोजन/आरोपित सरकारी सेवक के साक्षियों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण/पुनर्परीक्षण करने का दायित्व उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का होता है।
- (v) आरोपित सरकारी सेवक के अनुरोध पर अथवा संचालन पदाधिकारी के निर्णय के आलोक में मामले से संबंधित साक्ष्य अभिलेख उस प्राधिकार से प्राप्त कर, जिसकी अभिरक्षा में वे साक्ष्य अभिलेख हों, विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की होती है।
- (vi) आरोपित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किसी लिखित अभिकथन पर अभियोजन की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करने की जबाबदेही उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की होती है।
- (vii) अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपना अभिमत/मंतव्य दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

XVIII. अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के समय आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभिकथन पर विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में³⁰

- (43) कई बार अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी के बचाव में दिये गये लिखित अभिकथन पर विभागीय मंतव्य की अपेक्षा की जाती है। नियम-17 में संचालन के क्रम में आरोपित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किसी लिखित अभिकथन पर अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत/मंतव्य प्राप्त करने की अपेक्षा का प्रावधान नहीं है। आरोपों को प्रमाणित करने में सहायक साक्ष्य अभिलेखों की माँग किये जाने पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नांकित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं:-
- (i) स्पष्टतः नियम-17 के तहत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियम-18 के प्रावधानों के तहत किये जाने का प्रावधान है। वर्णित स्थिति में आरोपी सरकारी सेवक के लिखित अभिकथन पर अनुशासनिक कार्यवाही के क्रम में ही यदि विभागीय अभिमत, जो वस्तुतः अनुशासनिक प्राधिकार का ही अभिमत होता है, संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय, तब संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष अनुशासनिक प्राधिकार के मंतव्य से प्रभावित माना जायेगा। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही निरपेक्ष नहीं मानी जायेगी बल्कि ऐसी कार्यवाही दूषित मानी जायेगी। न्यायिक समीक्षा में यह स्थापित करने में कठिनाई होगी कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कार्यवाही को अपने मनोकूल निर्णय के लिए विभागीय अभिमत के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया गया है।

³⁰ परिपत्र संख्या 6727 दिनांक 08.07.2020

- (ii) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा आरोपित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित साक्ष्य अभिलेखों/गवाहों/लिखित अभिकथन पर जाँच प्राधिकार द्वारा ही अपना स्वतंत्र निष्कर्ष अभिलेखित किया जाना है। इस क्रम में यदि जाँच प्राधिकार द्वारा आवश्यक समझा जाय, तो उनके द्वारा आरोप से संबंधित साक्ष्य/अभिलेख को उपलब्ध कराने का आदेश प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित साक्ष्य अभिलेख उस प्राधिकार से प्राप्त कर, जिसकी अभिरक्षा में वे हों, अनुशासनिक कार्यवाही में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उपस्थापन पदाधिकारी की होती है।
- (iii) उपर्युक्त कंडिकाओं की व्याख्या पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श भी प्राप्त है। प्रासंगिक विषय पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“It is seen that in most of the cases the Inquiry Officer in a Proceeding is appointed by the Disciplinary Authority and hence, in case "Abhimat"/Views" of the department is disclosed before the Inquiry Officer even before he has arrived on any conclusion in the enquiry proceeding, there is every likelihood that it may influence his mind to take a partial view in such inquiry.

Even otherwise, it is inappropriate that a Disciplinary Authority should or cause to disclose his mind even before the departmental inquiry is concluded. Besides, in the provisions as enumerated under rule-17 of the said CCA Rules, 2005, there is no rule of submitting any "Abhimat" or presentation "Views" of the Department before the Inquiry Officer. What is required is presentation of facts, documents and evidences by the Presenting Officer to prove the charges and to participate in hearing, cross examine defence witnesses and submit written brief of his case during the course of the enquiry proceeding.”

XIX. नियमावली-2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के उपरांत वृहत शास्ति एवं पेंशन कटौती संबंधित दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के संबंध में³¹

- (44) अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों पर प्रभावी है जबकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत की जाती है। सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के संबंध में ध्यान देने योग्य बिन्दु निम्नवत् है:-

- (i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली नियम-14 में लघु एवं वृहत शास्तियों का वर्गीकरण किया गया है। इस नियमावली में किसी भी सरकारी सेवक के विरुद्ध नियम-14 में वर्गीकृत किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए नियम-2(झ) में अनुशासनिक प्राधिकार को प्राधिकृत किया गया है।

Rejendra

- (ii) नियमावली के नियम-2(झ), 9 एवं 15 में अनुशासनिक प्राधिकार को परिभाषित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के आलोक में वृहत दंड अधिरोपित करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है।
- (iii) नियमावली की कंडिका-30 में किया गया प्रावधान भी प्रासंगिक है जो निम्नवत् है - "30 इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव।-किसी अन्य नियमावलियों में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।"
- (iv) उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि नियमावली के नियम-14 में प्रावधानित किसी भी दंड को अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में संबंधित सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार ही सक्षम होगा। साथ ही किसी अन्य नियमावली में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधान का अभिभावी प्रभाव होगा अर्थात् इस नियमावली के प्रावधान ही लागू होंगे।
- (v) बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-10 के तहत नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-3 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन मामलों में अन्तिम निर्णय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से लिया जाना है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक- 25.01.2017 द्वारा अनुसूची-3 का कंडिका-28 के मूल प्रावधान को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया गया है - "28 समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रस्ताव, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो।"
- (vi) कार्यपालिका नियमावली के उक्त वर्णित संशोधन के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने (तीनों वृहत दंड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उसपर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दंड संसूचित किया जाता है।
- (vii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में पेंशन से कटौती (पूर्णतः/आंशिक, किसी विशिष्ट अवधि के लिए/स्थायी रूप से) का प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 एवं 139 में किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में पेंशन से कटौती को दंड के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए पेंशन से कटौती का निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार की अवधारणा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम- 43बी का प्रावधान निम्नवत् है-
"राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए। यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के

10/3/2018

Manjendra

सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा, धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक से पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है।

अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की जायेगी।”

यह प्रावधान सभी सरकारी सेवकों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') पर लागू है।

- (viii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम-35 में “राज्य सरकार” को परिभाषित किया गया है जिसमें अंकित है कि “राज्य सरकार से तात्पर्य है बिहार राज्य की सरकार”। राज्य सरकार की यही परिभाषा बिहार सेवा संहिता के नियम-45 में भी दी गयी है। बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों में बिहार सरकार को परिभाषित नहीं किया गया है।
- (ix) बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-10 के तहत तृतीय अनुसूची संलग्न की गयी है जिसमें उन विषयों का उल्लेख है जिन पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद् के स्तर से लिया जाना है। इसी प्रकार नियम-32क/ख में उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री/महामहिम राज्यपाल के स्तर से लिया जाना है। किसी विभाग से संबंधित शेष मामलों पर निर्णय कार्यपालिका नियमावली के अनुसूची-4 में निर्धारित प्राधिकार अथवा नियम-22 के तहत विभाग के प्रभारी मंत्री के स्तर से लिया जाना है। कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची-3 अथवा नियम-32क/ख में पेंशन से कटौती किया जाना सूचीबद्ध नहीं है और अनुसूची-4 में भी इसके लिए कोई प्राधिकार निर्धारित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि कार्यपालिका नियमावली में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था के तहत राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिये जाने हेतु राज्य सरकार के रूप में विभाग के प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकार है।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2609 दिनांक-13.09.2006 (कम्पेन्डियम, 2010 खण्ड-1 पृष्ठ 358) द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है, के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहत दंड अधिरोपित करने के क्रम में अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व तथा इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने तथा इसके परामर्श पर विचार करने का प्रावधान किया गया है।
- (xi) उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत प्रस्तावित कोई दंड अथवा बिहार पेंशन नियमावली के विभिन्न नियमों के तहत पेंशन

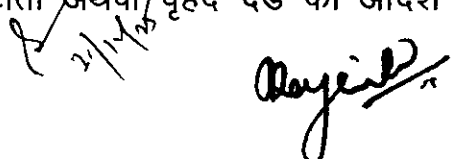
कटौती/शत-प्रतिशत पेंशन जब्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं :-

- (i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में प्रावधानित किसी भी दंड, अधोलिखित उप कंडिका- (II) में वर्णित मामलों को छोड़कर, को अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में संबंधित सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार ही सक्षम होगा। किसी अन्य नियमावली में इसके प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस नियमावली के उक्त प्रावधान का अभिभावी प्रभाव होगा अर्थात् इस नियमावली के प्रावधान ही लागू होंगे।
- (ii) कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची-3 की कंडिका-28 में निहित प्रावधान के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने (तीनों वृहत दंड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उसपर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दंड संसूचित किया जाता है।

[नोट:- (1) परिपत्र संख्या-806 दिनांक-16.01.2018 की कंडिका-7(iii) में विहित स्पष्टीकरण वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-295 दिनांक-13.05.2020 के आलोक में अप्रासंगिक हो गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-295 दिनांक-13.05.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 एवं 139 में अंकित शब्दावली "राज्य सरकार" को "सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार" से प्रतिस्थापित किया गया है।

(2) परिपत्र संख्या-806 दिनांक-16.01.2018 की कंडिका-7(iv) में विहित स्पष्टीकरण को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-14123 दिनांक-16.10.2019 द्वारा विलोपित किया गया है।]

- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-9794 दिनांक 22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम-11 एवं विनियम-12 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्रतिस्थापन द्वारा राज्य सेवा संवर्ग के लेवल-9 एवं इससे उच्चतर लेवल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड का आदेश



दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।³²

XX. आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली नियम-43 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने के संबंध में³³

- (45) बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 के प्रावधान के संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0- 2527/2009 में दिनांक-13.02.2012 को एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जिसका संदर्भित अंश निम्नवत है-

.....Future good conduct will be implied condition of every grant of pension would mean that a pensioner who has been granted pension is expected to maintain a good conduct in future and in case a pensioner is convicted of serious crime or held guilty of grave misconduct, the Provincial Government has the power granted by Rule 43 (a) to withhold or withdraw the pension or any part of it and its decision has been made final and conclusive.....

.....from a comparison of Rule 43 (a) with Rule 43 (b) that the former relates to future good conduct of a pensioner and the same may be invoked if he is convicted of serious crime or is held guilty of grave misconduct. The serious crime or grave misconduct under this provision, i.e. rule 43 (a) is not related to his conduct during service and/ or service rendered on re-employment. It is a conduct expected of a pensioner in future after he is granted a pension. Thus, there is clear distinction between the aim and object of Rule 43(a) and that of Rule 43(b). Both the provision operate in different areas having different connotations. The decision under rule 43(a) is not on account of any departmental proceeding or judicial proceeding instituted when the government servant was in service or instituted later in respect of an event which related to his service rendered before retirement or on re-employment

.....On the other hand, the future good conduct mentioned in Rule 43(a) is good conduct expected of every government servant even after superannuation. Such future conduct is not related to his service period at all.....

.....Rule 43(a) comes into play after retirement and applies till pensioner breathes his last. There can be no question of time limitation for exercise of such power because this Rule is not at all connected with any departmental proceeding. Rule 43(a) nowhere refers to any departmental proceeding instituted earlier or to be instituted later.

- (46) उक्त न्यायनिर्णय में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि नियम 43(क) के प्रावधान का उपयोग तभी किया जा सकता है जब सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का

³² परिपत्र संख्या 14123 दिनांक 16.10.2019

³³ परिपत्र संख्या 1882 दिनांक 06.02.2020

21/1/20

Rayendu

Future Good Conduct नहीं हो। सेवाकाल के किसी अनुशासनिक/आपराधिक आरोप की जाँच के लिए नियम-43(क) के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसलिए नियम-43 के परन्तुक में चिह्नित शर्त (आरोप की वास्तविक घटना चार वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए) नियम- 43(क) के संदर्भ में प्रभावी नहीं है।

- (47) न्यायादेश से यह भी स्पष्ट होता है कि सेवाकाल के किसी आरोप के लिए किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रावधानों उसमें अन्तर्निहित शर्तों सहित के तहत किया जा सकता है तथा आरोप प्रमाणित होने पर पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। परन्तु सेवाकाल के किसी अनुशासनिक/आपराधिक आरोप के लिए नियम-43(क) के प्रावधान के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है।

- (48) विचाराधीन विषय पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत है :-

“..... Rule 43(a) of the said Rules vests power in the Provisional Government to withdraw or withhold pension or any part of it, if the pensioner is convicted of serious crime or grave misconduct. The provision clarifies that “future good conduct” is an implied condition of every grant of pension. Thus, apparently, this provision controls events arising out after retirement of an employee because good conduct of a pensioner is a condition for every grant of pension and if his conduct is found wanting in view of his conviction for serious crime or guilty for grave misconduct then, the pension earlier granted can be withheld or withdrawn either in full or in part. The Division Bench of Patna High Court has also clarified this view in its judgment dated 13.12.2012 passed in CWJC No. 2527/2009.

Thus, in case an order of conviction and sentence is passed against a pensioner by the criminal court for commission of any serious and grave offence/misconduct omitted while he was inservice, then the State Government may in exercise of power vested under Rule 43(b) can take action of withholding/withdrawing his pension or part thereof by simply issuing a show cause notice. Since the employee has already been proceeded judicially in the criminal case and conviction order has been passed holding him guilty of charges, no separate proceeding is required to be instituted under Rule 43(b), except a simple show cause to respond on order of conviction.”

XXI. सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड का ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के तहत अनुमान्य वित्तीय उन्नयन पर कुप्रभाव के संबंध में³⁴

- (49) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में प्रावधानित शास्तियों के कुप्रभाव को स्पष्ट किया गया है।

3/11/21

Rayendu

(50) विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्ट किया जाता है कि—

- (i) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होने पर ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत वित्तीय उन्नयन को विभागीय कार्यवाही निष्पादित होने तक के लिए लंबित रखे जाने का प्रावधान है।
- (ii) विचाराधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में यदि उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से ही वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जायेगी।
- (iii) विचाराधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यदि उन्हें दण्ड अधिरोपित करने के साथ निष्पादित किया जाता है तो—
 - (क) सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देयता पर विचार किये जाने के पूर्व उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड के कुप्रभाव अवधि की गणना की जानी होगी।
 - (ख) यदि सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के अन्तर्गत नहीं पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में देय तिथि से वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाएगा।
 - (ग) सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के अन्तर्गत पड़ता हो तो उन्हें दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के समाप्ति की अगली तिथि से वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जायेगी।

(iv) उदाहरण के लिए—

यदि किसी सरकारी सेवक को आदेश संख्या—1042 दिनांक—30.09.2018 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जाय, तब दंड के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक—01.07.2019 एवं 01.07.2020 से अनुमान्य वेतनवृद्धियाँ अस्थायी रूप से अवरुद्ध होगी। वर्णित स्थिति में उनकी सेवा पर दिनांक—30.09.2018 से 30.06.2021 तक दंड का कुप्रभाव रहेगा। अतः यदि उनकी ए०सी०पी० की देय तिथि 30.09.2018 के पूर्व की या 30.06.2021 के बाद की कोई तिथि हो तो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि 30.09.2018 से 30.06.2021 के बीच की कोई तिथि हो, तब उन्हें दण्ड का कुप्रभाव समाप्त होने के उपरान्त दिनांक—01.07.2021 से वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जा सकेगा बशर्ते की उक्त तिथि को वित्तीय उन्नयन की अनुमान्यता से संबंधित अन्य अर्हताएँ उनके द्वारा धारित की जाती हों।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक एवं निंदन के दंड का कुप्रभाव अवधि भी उक्त रीति से ही निर्धारित किया जायेगा। कुप्रभाव अवधि का दुष्प्रभाव सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति की देय तिथि तथा ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की अनुमान्यता की तिथि पर ही पड़ेगा।

31/11/18

Mojend

XXII. सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में³⁵

- (51) चूँकि सेवाकाल के आरोपों के कारण ही किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित या आपराधिक कार्यवाही संस्थित होती है, अतः जिस प्रकार सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही/संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष संकल्प संख्या-7457 दिनांक-11.09.2002 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है उसी प्रकार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित या सम्परिवर्तित विभागीय कार्यवाही या संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण भी विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने का आधार होता है।
- (52) अतः राज्य सरकार ने, संकल्प संख्या-7457 दिनांक-11.09.2002 के क्रम में, यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है या सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्यवाही में सम्परिवर्तित की जाती है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।
- (53) उपर्युक्त प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

XXIII. एक से अधिक मामलों में वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने के दण्ड दिये जाने पर उनके कार्यान्वयन के संबंध में³⁶

- (54) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में अधिरोपित संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने के दंडादेशों का प्रभाव साथ-साथ होगा अथवा प्रथम दंडादेश के कुप्रभाव की समाप्ति के पश्चात् दूसरे दंडादेश का कुप्रभाव प्रारंभ होगा- इससे संबंधित स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था।
- (55) उल्लेखनीय है कि विचाराधीन मामले के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है और इस संदर्भ में अलग से कोई स्पष्टीकरण भी निर्गत नहीं है। परन्तु The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 के प्रावधानों के संदर्भ में महानिदेशक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण के पत्रांक 230/308/75-Disc.II दिनांक-03.05.1976 द्वारा उपर्युक्त परिस्थिति के लिए निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है-

³⁵ संकल्प ज्ञापक 170 दिनांक 06.01.2010

³⁶ परिपत्र संख्या 1659 दिनांक 05.02.2021

31/1/25
Mayank

“..... where the disciplinary authority imposed penalties of stoppage of increment one after the other in separate cases on the Government Servant, the effect of the first punishment order of stoppage of increment will continue for the period specified in the punishment order. Thereafter, the pay of the Government Servant will be raised by giving him increments which, but for the imposition of the penalty, would have been admissible to him and only then the second order of stoppage of increment will be made effective which will continue for the period specified in the second punishment order of stoppage of increment and so on.”

(56) उपर्युक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि जहाँ किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में अधिरोपित संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने का दंडादेश अधिरोपित किया गया हो, वहाँ—

- (i) सर्वप्रथम पहले दण्डादेश का प्रभाव दण्डादेश में निर्धारित अवधि तक रहेगा;
- (ii) तदुपरान्त अधिरोपित दण्ड के अनुरूप अनुमान्य वेतनवृद्धि देते हुए सरकारी सेवक का वेतन उत्क्रमित किया जायेगा; एवं
- (iii) तदुपरान्त अगले दण्डादेश का प्रभाव प्रारम्भ होगा।

(57) वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने का दण्डादेश अधिरोपित किये जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त कंडिका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार दण्ड का प्रभाव होगा।

XXIV. दंड संसूचन से पूर्व ही आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु होने के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष के संबंध में स्पष्टीकरण³⁷

(58) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के कंडिका-11(2) में निलंबन अवधि में सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सरकारी सेवक के निलंबन अवधि के विनियमन संबंधी प्रावधान निम्नवत् है— “इस नियमावली के नियम-10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालयीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।”

(59) प्रसंगाधीन बिन्दु पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 11012/7/99-स्था0(A) द्वारा परिचारित स्पष्टीकरण निम्नवत् है:-

31/11/23

Signature

“.... After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where Government Servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government Servant. {Deptt. Of Personnel & Training OM No. 11012/7/99-Estt.(A) dated 20th October, 1999}”

- (60) विचाराधीन विषय पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से भी परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है—

“In view of the aforesaid, I am of the considered view that Rule 11(2) of the Bihar Government servant CCA Rules, 2005 is very clear and unambiguous on the point in issue. The departmental proceeding instituted against a Government servant, shall stand abated and terminated on the date of death of that employee if the proceedings has not been concluded. The conclusion of a departmental proceeding in my opinion would coincide with the last act required to be done in the departmental proceeding as envisaged u/s 18 of the Bihar Govt. Servant CCA Rules 2005. Mere submission of enquiry report holding delinquent guilty in a departmental proceeding cannot give an assumption that the departmental proceeding stands concluded.”

- (61) अतः वर्णित स्थिति में विचाराधीन विषय के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि “विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।”

XXV. सरकारी सेवक के विरुद्ध दायर कोई आपराधिक वाद अथवा आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय में सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किये जाने की सूचना ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में³⁸

(62) “(i) यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद दायर किया जाय अथवा किसी आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया जाय, तो संबंधित सरकारी सेवक द्वारा ही उनके विरुद्ध दायर आपराधिक वाद से संबंधित तथ्यपरक सूचना अपने प्रशासी विभाग को दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया जाना संबंधित सरकारी सेवक का कदाचार माना जायेगा।

(ii) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक वाद में अभियोजन एजेंसी द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया जाय तो संबंधित अभियोजन एजेंसी द्वारा तुरत इसकी सूचना संबंधित सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकार/कार्यालय प्रधान को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।”

मुफ़्फ़रान अहमद

विशेष सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

बिह पटना।

Ranjendra